Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding request to take rent from the tenants of Mumbai Port Trust (MPT) as per Mumbai Rent Control Act .

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद । मुंबई में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट नाम की एक संस्था है, उसे अभी एक अलग अथॉरिटी बना दिया गया है । 100 साल पहले मुंबई शहर बन्दरगाह में बस्ती बनाने के लिए अंग्रेजों ने लोगों का बुलाया, वहां इमारतें खड़ी हुईं । आज वहां 100 साल पुरानी इमारतें हैं, लेकिन वे बीपीटी की लैण्ड पर हैं । यह लैण्ड लीज पर दी गई है, उस पर जो लोग रहते हैं, वे किरायेदार हैं । अब वे किरायेदार किराया लीजहोल्डर को दे रहे हैं, जिसे लीजहोल्डर को बीपीटी को देना चाहिए, लेकिन वह वक्त पर किराया नहीं देता है, इसलिए बीपीटी आज जिस ढंग से उनके साथ पेश आ रही है, वहां से सभी को निष्कासित करने की बात कर रही है । हालांकि मैंने मंत्री महोदय के सामने एक बार यह विषय रखा था, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है । मुंबई के कलेक्टर रेन्ट .25 प्रतिशत बढ़ाते हैं, लेकिन बीपीटी 6 प्रतिशत बढ़ाती है । सर, कोलाबा में कोई सारे हाई-फाई लोग नहीं रहते हैं, वहां गरीब लोग रहते हैं, मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, उन लोगों को निष्कासित करने की बात चल रही है ।

बीपीटी, जिसका ताज होटल का 500 करोड़ रुपये का भुगतान बाकी है, उसे नोटिस भी नहीं देती, लेकिन गरीबों को निष्कासित करने पर लगी हुई है । महोदय, आपके माध्यम से, खासकर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, जो खुद इस विषय को जानते हैं, मैं उनसे विनती करना चाहता हूं । यदि बीपीटी किरायेदारों से सीधे किराया ले, तो भी अच्छा होगा । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले में इंटरवीन कीजिए और लोगों को न्याय दीजिए । जैसे कोर्ट्स में जजेज होते हैं, वैसे वहां भी जज बैठाए गए हैं, लेकिन उन्हें लॉ वगैरह

की कोई जानकारी नहीं है । उनके पास सौ-सौ केसेज पेंडिंग हैं । मैं सरकार से कहूंगा कि वह तुरंत इंटरवीन करे ताकि लोग वहां से निष्कासित न हों । जिस तरह से रेंट कंट्रोल एक्ट है, उसी के मुताबिक लोगों से रेंट लिया जाए ।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।